

16/3/2021

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई वकुलाप उन्नयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बट्स वकुलाप उन्नयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवस्त बट्स वकुलाप उन्नयपक्ष ने मुताबिक शरीनामा दावा डिक्री करवाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशाशुदा शरीनामा आदि का अवलोकन किया गया एवं बट्स वकुलाप उन्नयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारों के मध्य शरीनामा हो चुका है जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। अतः वाद, वादीगण मुताबिक शरीनामा दिनांकित 12/9/2018 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। शरीनामा दिनांकित 12/9/2018 डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक शरीनामा दिनांकित 12/9/2018 राजस्व रिकार्ड में अमल कराया हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरदेश कुमार)
RAS

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

